# न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 19/2024

**अपीलार्थी–**      ***बनाम***      **उत्तरदाता–**

भानाराम पुत्र पुनमाराम जाति जाट निवासी जाणियावास नांद तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर

राजस्थान राज्य बजरिये उप तहसीलदार विशाला

**राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.02.2024 जो प्रकरण सं. 23/2024 मे उप तहसीलदार विशाला द्वारा पारित किया गया।**

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट प्रर्फोमा पक्षकार।

## निर्णय

दिनांक : 13.01.2025

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप तहसीलदार विशाला द्वारा प्रकरण सं. 23/2024 सरकार बनाम भानाराम में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2024 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का नांद द्वारा उप तहसीलदार विशाला के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जाणियावास के खसरा नम्बर 361/265 रकबा 13–11 बीघा किस्म गैर मुमकीन आगौर पर गैर सायल भानाराम द्वारा बाड़बदी कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर उप तहसीलदार विशाला द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल स्वंय दौरान सुनवाई उपस्थित हुआ तथा मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:37:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

करना स्वीकार किया। इस पर उप तहसीलदार विशाला द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 09.02.2024 के द्वारा 41/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 17.05.2024 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। अपील के साथ ही धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया।

4. अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मौजा जाणियावास में अपीलांट की खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 255/361 रकबा 77–07 बीघा का आया हुआ है वक्त सेटलमेंट खसरा नंबर 261 मे भगा द्वारा जागीरीकाल से 300 बीघा भूमि पर काश्त कर उसका कुन्ता तात्कालिक जागीरदार को दिया जाता था। उसके बाद पुनमा, गजा, उदा पि0 भगा द्वारा सेटलमेंट अधिकारीयों को अपनी 300 बीघा भूमि की पेमाईश करवायी परन्तु सेलमेंट अधिकारीयों ने त्रुटिवश 300 बीघा की जगह 232–10 बीघा में 2 खसरे 260 व 261 कायम कर दिये तथा रकबे के हिसाब से नक्शा बना दिया जबकि प्राथीगण के पिता व दादा अपनी 300 बीघा भूमि की गिरदावरी करवाते थे उसके बाद इन तीनों की जगह भाना, चौला, रेखा पि0 पुनमाराम लाभू पुत्र गजा, मुला, आसू, सगरा पि0 उदा यह सभी लोग 300 बीघा भूमि पर लम्बे समय से काश्त करते आ रहे है। उक्त आराजी मे भाना का लगातार 100 वर्षो से कब्जा होने से उक्त सम्पति भाना के पक्ष मे घोषित किया जाना न्यायोचित है। इस आशय का एक वाद श्रीमान सहायक कलक्टर बाड़मेर के न्यायालय में विचारधीन है इसके बावजूद हल्का पटवारी ने न्यायालय मे विचारधीन भूमि को तथा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:37:20 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार पक्षकार होने के बावजूद प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को समुचित अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया जो निरस्त योग्य हैं।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया तथा अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा उक्त आदेश की यथासमय जानकारी नहीं दी गई, जिससे अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही हुई तथा जानकारी होने पर यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की जा रही हैं। इसके उपरांत भी विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अतः अपीलांट की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें तथा विवादित भूमि अपीलांट के पक्ष में नियमित करने के उप तहसीलदार विशाला को आदेश जारी फरमावें।

6. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व अधिपत्य को ग्राम जाणियावास के गे0मु0 आगौर भूमि पर बाड़बदी कब्जा बनाकर उपयोग होना प्रकट किया है जबकि राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त भूमि गैर मुमकीन आगौर दर्ज हैं। जहां तक उक्त आगौर की भूमि पर बाड़बदी कब्जा निर्माण कराया गया हैं तो इसके आधार पर अपीलांट के अनाधिकृत कब्जे को विधिमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई दिनांक 02.02.2024 को जरिये स्वयं उपस्थित हुआ है तथा आदेशिका पर उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी उपस्थित हुआ हैं तो उसे अपना जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत करना चाहिए था इसके बावजूद भी यदि मुतनाजा भूमि पर [illegible] कोई विधि सम्मत अधिकार है तो उसे इस अपील के संलग्न भी प्रस्तुत [illegible] जाना चाहिए था। इसके अलावा भी अपीलार्थी द्वारा सहायक कलक्टर न्यायालय में जो विनिमय का वाद प्रस्तुत किया हैं जो उसके निर्णय उपरांत ही यदि दावा डिक्री किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:37:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जाता हैं तो ही मुतनजा भूमि पर अपीलार्थी के अधिकार सृजित हो सकेंगे। वर्तमान स्वरूप में मुतनाजा भूमि गैर मुमकीन आगोर प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने से अपीलार्थी को इस पर किसी प्रकार का हक–अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार विशाला द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2024 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:37:20 IST
Reason: SelfAttested